



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली— 110002

30 JUN 2016

मि०सं० ७-३ / २०१२ (एएमपीसी)

जून, 2016

विषय: जाली विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार केन्द्रीय/राज्यीय/प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत स्थापित मानित विश्वविद्यालय जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्थान द्वारा “विश्वविद्यालय” शब्द का प्रयोग, या उपाधि प्रदान करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अनुसार निषिद्ध है। छात्रों एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में वर्तमान समय में निम्नलिखित 22 स्वतः अभिकल्पित, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं।

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा बिहार
2. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र./जगतपुरी, दिल्ली
3. कर्मशियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागांज, दिल्ली
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
6. एडीआर—सेन्ट्रल जूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8जे गोपाला टावर 25 राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली— 110 008
7. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
8. बाडागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगांम (कर्नाटक)
9. सेन्ट जॉन्स यूनिवर्सिटी, कृष्णाअट्टम, केरल
10. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
11. डी०डी०बी० संस्कृत यूनिवर्सिटी पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु

12. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मैडिसन, 80, चौरंगी रोड, कोलकाता—20
13. इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मैडिसिन एण्ड रिसर्च, 8ए डाइमण्ड हार्बर रोड, बुलटेक इन, दूसरा तल, ठाकुरपुकुर, कोलकाता— 700063
14. महिला ग्राम विद्यापीठ /विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय), प्रयाग, इलाहाबाद, (उ0प्र0)
15. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, (उ0प्र0)
16. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर
17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उ0प्र0)
18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलौ, मथुरा (उ0प्र0)
19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, (उ0प्र0)
20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेस-II (उ0प्र0)
21. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दाबन, मथुरा (उ0प्र0)
22. नवभारत शिक्षा परिषद, अन्नपूर्णा भवन, प्लॉट नं 242, पानी टंकी रोड, शक्ति नगर, राउरकेला—769014

* भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— संबंधित मामला लखनऊ के जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है।

ये संस्थान “जाली विश्वविद्यालयों” के रूप में घोषित किए गए हैं और कोई भी उपाधि प्रदान करने के पात्र नहीं हैं। विस्तृत सूची www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है। जनसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि इन जाली विश्वविद्यालयों में दाखिला न लें।

जसपाल सिंह

प्रो० (डा०) जसपाल सिंह सन्धू
सचिव, यूजीसी